संख्याः 415 / VII-1/2017/55–ख/16

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग विभाग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 2 अप्रैल, 2017

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में खनन सर्विलांश योजनान्तर्गत लेखानुदान द्वारा प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–56/लेखा/बजट/भू०खनि०ई०/2017–18 दिनांक 17 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–2018 में अनुदान सं० 23 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष की खनन सर्विलांश योजनान्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **₹ 8801 हजार (₹ अट्ठासी लाख एक हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग–02–खानों का विनियमन तथा विकास–102–खनिज खोज–04 खनन सर्विलांश	
	02–मजदूरी	1
	04–यात्रा व्यय	33
	09–विद्युत देय	1
	11–लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई	50
	13–टेलीफोन पर व्यय	50
	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	333
	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1333
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	6667
	42–अन्य व्यय	333
	योग	**8801**

(1) प्रश्नगत धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही धनराशि का आहरण किश्तों में किया जायेगा।

(2) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फॉट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।

(5) धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिकों के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के उपरोक्त लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या– 415 (1)/VII-1/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव